ग्रामीण विकास (समेकित बाल विकास)

*लेखराज सुमन
**डॉ. रीता सक्सेना

ग्रामीण विकास के विभिन्न उपादानों के विषय मे तर्कसंगत अध्ययन से पूर्व सर्वप्रथम विकास की खासतौर से 'ग्रामीण विकास' की अवधारणा एवं संरचना को समझना नितांत आवश्यक है। जहाँ तक विकास का तात्पर्य है इसका अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है। तकनीकी शब्दों मे विकास का तात्पर्य किसी भी अर्थव्यवस्था मे गुणात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन से होता है। विकास की तुलना मे वृद्वि का तात्पर्य एवं सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जी.एन.पी.) मे मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। आर्थिक वृद्वि किसी भी अर्थव्यवस्था मे समयानुकूल अच्छी वर्षा के कारण अच्छी खाद्यान्नों के उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के मांग मे परिर्वतन से भी सम्भव है। जबकि विकास वास्तविक राष्ट्रीय आय मे दीर्घकालीन वृद्वि से सम्बन्धित है। इसके अंर्तगत व्यक्तियों के मनोवृत्तियों मे परिर्वतन होता है उनके मनोभावों मे परिर्वतन होता है। यहाँ पर विकास की इस तकनीकी का अर्थ को नही लिया गया है।

भारत जैसे विकासशील देशों के लिय कोई नयी बात नही है। कई देश कई वर्षों से ग्रामीण विकास का अभ्यास या उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे है। और उनमे से कई ने अपने प्रयासों मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अनेक विकासशील देशों की तरह भारत ने भी विभिन्न सार्वजनिक नीतियों के माध्यम से ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी है।

भारत देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है जो मूलतः कृषि पर ही निर्भर है इसलिये यह कहना उचित नही होगा की निरतंर ग्रामीण विकास के बिना हमारा राष्ट्रीय विकास अधूरा एवं निरर्थक ही साबित होगा। दूसरे शब्दो मे हम कह सकतें है कि ग्रामीण उत्थान राष्ट्र के जीवन का मूल आधार है।

यहाँ पर विकास का दूसरा पक्ष जो कि विकासशील देशों के लिये परमावश्यक है, उत्पादन मे अपेक्षित वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन एवं मानव संसाधनों को समुचित रोजगार उपलब्ध कराने से लिया जाता है। उत्पादन मे भौतिक साधनों से तात्पर्य विकास मे सहायक आर्थिक कारको को शामिल किया गया है। यथा मानव संसाधनों की प्रचुरता तथा समुचित पूंजी के लिये निम्न लिखित कारक सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक एवं शैक्षणिक स्तर से उनकी मानसिकता मे यथेष्ट परिर्वतन के द्वारा ही विकास कार्यक्रमों मे उनका सक्रिय सहयोग लिया जा सकता है। साथ ही साथ विकास के लिये हमें सामाजिक जीवन मे नागरिकता के उचित गुणों का विकास करना भी उतना ही परमावश्यक है जैसे समाज का संगठनात्मक ढांचा, जाति, वर्ग, भाषा, धर्म आदि इसके उदाहरण है।

राज्य सरकार के सभी वर्गों, विषेश रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के हित मे स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओ ंकी गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिये भरपूर प्रयास कर रही है। शिशु मृत्युदर और प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्युदर को कम करने के लियें राज्य मे 'राजस्थान जननी सुरक्षा योजना' संचालित की जा रही है। जिसमे गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निशुल्क चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करायी जा रही है।

बालक का विकास भ्रूणावस्था से ही प्रारम्भ हो जाता है। विकास की प्रकिया जीवन्त पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। बालक के जन्म से पूर्व तथा पश्चात् जो भी परिवर्तन दिखाई देते है, वे सब बाल विकास के ही अंग है।

मानव विकास की सर्वप्रथम अवस्था शैशवावस्था है। इसकी अवधि 0–5 वर्ष मानी जाती है। इसे मानव जीवन का आधार भी कहा जाता है। और इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था 12–18 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था मे बालक मे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास मे क्रांतिकारी परिवर्तन होते है। इसे विकास की प्रक्रिया का सबसे कठिन काल कहा जाता है।

अशिक्षा, गरीबी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों मे बालकों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। देश का भविष्य उसके बच्चों मे निहित होता है। आज के बच्चे कल के नागरिक है। अतः देश मे शक्ति एवं सदभावना को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर ध्यान दिया जाये इसी क्रम मे समेकित बाल विकास सेवाएं प्रत्येक राज्यों, जिलों एवं गांवों मे लम्बी यात्रा करते हुये आंगनवाडी केन्द्रों को प्रत्येक गांव मे बच्चों हेतु प्रथम गांव केन्द्र के रूप मे सफलता अर्जित की है। और गांवों मे बालकों के विकास के लिये समेकित बाल विकास परियोजना को प्रारम्भ किया गया। समेकित बाल विकास के माध्यम से गांवों मे बालक / बालिकाओं को 0–6 वर्ष के बच्चों के पोषण की स्थिति मे सुधार सुनिश्चित करना है।

बच्चों की उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना। बच्चों की मृत्युदर, रूग्णता, कुपोषण एवं स्कूल छोडने की संख्या मे कमी लाना है। बाल विकास को बढावा देने के लिये विभिन्न विभागों के मध्य नीति एवं कार्यान्वयन के माध्यम से प्रभावी समन्वयन सुनिश्चित करना है। गांवों मे बालक / बालिकाओं को सुविधा प्रदान करना उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना जिससें वह एक जागरूक नागरिक बन सकें। समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से गांवों के विकास के लिये निम्न सेवाएं प्रदान की जाती है। पूरक पोषाहार, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भ/ रैफरल सेवाएं आदि से ग्रामीण विकास को बढाना है।

इस प्रकार वर्तमान परिपेक्ष्य मे विशेष रूप से विकासशील देशों के लिये न केवल हमें आर्थिक कारकों पर ही नही अपितु अनार्थिक कारकों एवं इस के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान रखना होगा जो कि आर्थिक विकास का सही द्योतक है।

दूसरे शब्दों मे सकल राष्ट्रीय आय मे हम प्रति व्यक्ति आय, समाचार पत्रों की उपयोगिता बिजली की खपत, सींमेन्ट का उपयोग साथ ही शहरी जनसंख्या का अनुपात लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धों तथा कृषि कार्यों मे लगे लोगों की संख्या एवं साक्षरता अनुपात मे मृत्यु दर स्तर, समाज मे महिलाओं का अनुपात तथा श्रम शक्ति मे समुचित विकास को आर्थिक वृद्धि या विकास के संदर्भ मे एक साथ जोडकर देखा जाता है।

आर्थिक विकास के लिये गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी एवं असमानता दूर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि प्रायः सभी विकासशील देशों का राष्ट्रीय लक्ष्य यही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूर्ण आत्मविश्वास के साथ व्यापक पैमाने पर आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद मे बढोतरी तथा अत्यधिक गरीबों को सहायतार्थ गरीबी उन्मूलन, असमानता एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिये आई.आर.डी.पी. जैसे कार्यक्रमों को भारत मे गांवो के विकास के लिये प्रारम्भ किया गया है।

आर्थिक विकास मे ही आर्थिक वृद्धि सन्निहित है, अतः यह अत्यंत व्यापक अर्थों भी प्रयुक्त होता है। समानता से तात्पर्य अमीर एवं गरीब के बीच की खाई को कम करने अथवा अमीर एवं गरीबी की दूरी को न्यूनतम बनाये रखना ही विकास के लिये आवश्यक तत्व है।

यह भी महसूस किया जा रहा है कि गांवों मे गरीबी रेखा से भी नीचे अत्यंत दयनीय स्थिति मे ग्रामीण व्यक्ति अपना जीवन व्यापन करते है। उन्हें बिना गरीबी रेखा से ऊपर उठाये वास्तविक अर्थो मे विकास असंभव है।

अर्थात् मानव की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ती विकास की अत्यंत अनिवार्य दशा है, अतः इस पर अवश्य ही समुचित ध्यान देना होगा।

ग्रामीण विकास अब ग्रामीण विकास के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डाले तो ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिये यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक न्याय एवं समन्वित तथा संतुलित विकास के मार्ग का अनुसरण किया जाये। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विकास हेतु अपनाई गयी योजना प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों की गरीबी के उन्मूलन के उद्देश्य को अत्यंत प्राथमिकता के आधार पर पंचवर्षिय योजनाओं के लक्ष्यों मे शामिल किया जाता रहा है। किन्तु उनमे अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाई है। ग्रामीण विकास को लोग भ्रमपूर्वक कृषि विकास ही समझ बैठते है। यद्यपि कृषि विकास न केवल ग्रामीण विकास का ही है अपितु बहुत हद तक औद्योगिक विकास भी इसी पर निर्भर करता है। परन्तु ग्रामीण विकास इस कृषि विकास से भी अत्यंत व्यापक है। क्योंकि इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य सेक्टरों, जैसे आधारभूत सुविधाओं का विकास, कुटीर एवं लघु उद्योग धन्धों का विकास, विनिमय, वितरण, उत्पादन एवं बाजार व्यवस्था आदि को भी विकसित किया जाता है। जो कि ग्रामीण विकास मे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते है।

ग्रामीण विकास की समस्याओं की विशालता, प्रकृति, जटिलताओं और तात्कालीकता को देखते हुये अधिकांश विकासशील राष्ट्रों ने विकास कार्यक्रम आरम्भ किए जिसके कारण राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक कई संस्थाओं का निर्माण हुआ। यह विश्वास था कि विकास के कार्यक्रमों को न केवल राज्य की नौकरशाही द्वारा, बल्कि सक्रिय और प्रभावी लोगों की भागीदारी के माध्यम से भी चलाया जाएगा। इस प्रकार, स्थानीय संस्था अनिवार्य है, त्वरित ग्रामीण विकास के लिये यह आवश्यक शर्त है।

ग्रामीण विकास केवल कृषि विकास नही है बल्कि समग्र रूप से ग्रामीण परिवर्तन है जिसमे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आदि मानव संसाधनों के सभी पहलुओं का विकास शामिल है। इसके खंडित दृष्टिकोण को देखने की अपेक्षा इसकी समग्रता मे देखना चाहिए।

परिचय की पृष्ठभूमि मे, वर्तमान इकाई मे ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण विकास के महत्व और अवधारणा को परिभाषित करने के पश्चात, यह ग्रामीण विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों को संक्षेप मे प्रस्तुत किया है। यह 1920 से आज तक के ग्रामीण विकास के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला है।

ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण लोगों का विकास भारत मे विकास योजना का केन्द्रीय प्रसंग रहा है। ग्रामीण भारत, जिसमे देश की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या निम्न है जोकि शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त नही है।

इसलिये ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास की कार्यसूची मे एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वास्तव मे, यह लोगों के एक विशिष्ट समूह – ग्रामीण गरीबों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने की रणनीति है। राजनीतिक – आर्थिक और सामाजिक – सांस्कृतिक संरचनात्मक अक्षमताएं ग्रामीण गरीबों के विकास के लिये खतरा है। इसने गरीबी की समस्या को बढ़ा दिया है, जो विभिन्न रूपों मे प्रकट हुई है, जैसे बेरोजगारी, असमानता, कुपोषण, मलिन बस्तियों का विकास और अज्ञानता। बढ़ती गरीबी जो नियोजित विकास को कमजोर करती है, शहरी क्षेत्रों की तुलना मे ग्रामीण क्षेत्रों मे कही अधिक गंभीर है और राष्ट्रीय विकास मे सबसे बडी बाधा बन गयी है। चूंकि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन एक ही आर्थिक समस्या के दो पहलू है, समग्र आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिये ग्रामीण विकास आवश्यक है।

विश्व बैंक ने भी ग्रामीण विकास के महत्व को अनुभव किया। बैंक ने ग्रामीण गरीबी की समस्या और ग्रामीण विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है ओर लगभग सभी विकासशील देशों के आधिकारिक विकास योजना दस्तावेजों मे इसके परिचय को प्रोत्साहित किया है जो विश्व बैंक के सदस्य है। अन्य अंतराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय और अन्य एजेंसियों ने भी ग्रामीण विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

चूंकि ग्रामीण विकास राष्ट्र – निर्माण की कुंजी है, यह ग्रामीण समाज को पारंपरिक अलगाव से राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा के साथ एकीकरण मे परिवर्तित कर सकता है। यह बुनियादी ढ़ाचागत सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाकर एक अंर्तनिहित मूल्य प्रणाली के साथ एक नए समाज का विकास करेगा।

अंत मे संसाधनों की कमी और कम या कोई सौदेबाजी की शक्ति के कारण, छोटे, बिखरें और असंगठित ग्रामीण उद्यमों के मालिकों का उन लोगों की तुलना मे अधिक शोषण किया जाता है जिन्हें वे अपने उत्पाद बेचते है और जिनसे वे कच्चा माल खरीदते है आदि। इन छोटे ग्रामीण उद्यमियों को शोषण से बचाया जा सकता है और मूल्य समर्थन, ऋण, सुविधाओं, बीमा आदि के रूप मे ग्रामीण विकास के माध्यम से ही उनकी वित्तिय स्थिति मे सुधार किया जा सकता है।

ग्रामीण विकास की परिभाषाएं

ग्रामीण विकास की अवधारणा का जन्म कृषि के संदर्भ मे हुआ और यह लंबे समय तक भारत मे कृषि विकास के साथ संलग्न रहा। कृषि पर राजसी आयोग (1928) ने ग्रामीण विकास की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों मे कीः ''हम अपने दृढ़ विश्वास को बहुत दृढ़ता से नहीं कह सकते है कि कृषि का निदेशक ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण पदों मे से एक है और कृषि उन्नति लगभग नियुक्त अधिकारी की उपयुक्तता पर निर्भर होनी चाहिए।''

इस तरह, एकीकृत ग्रामीण विकास पर योजना आयोग के कार्यदल ने देखा किः सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात हमने देर से ही यह निर्णय लिया कि ग्रामीण विकास की अभिव्यक्ति पर सीमित दृष्टिकोण की अपेक्षा व्यापक रूप से विचार करना चाहिए हमने इसे व्यापक अर्थों मे इसका चयन कृषि विकास के साथ तुलना करने के लिये किया है ताकि फसल पालन के अतिरिक्त सभी संबद्ध गतिविधियों को शामिल किया जा सके।

70 के दशक मे ग्रामीण विकास की अवधारणा मे परिवर्तन आया है और यह अधिक व्यापक हो गया है। विश्व बैंक ग्रामीण विकास को लोगों के एक विशिष्ट समूह अर्थात ग्रामीण गरीबों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिये तैयार की गई रणनीति के रूप मे परिभाषित करता है। इसमे विकास के लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों मे रहने वाले सबसे गरीब लोगों तक पहुंचाना था। इस समूह मे छोटे पैमाने के किसान, काश्तकार और भूमिहीन शामिल है। ग्रामीण विकास मे कृषि उत्पादन बढाने, नए रोजगार सृजित करने, स्वास्थ्य और शिक्षा मे सुधार, संचार का विस्तार करने और आवास मे सुधार करने के लिये योजना सहित गतिविधियों का मिश्रण शामिल होना था।

राबर्ट चेम्बर्स ने ग्रामीण विकास को लागों के एक विशिष्ट समूह, गरीब ग्रामीण महिलाओं और पुरूषों को सक्षम बनाने के लिये एक कार्यनीति के रूप मे परिभाषित किया है, ताकि वे अपने और अपने बच्चों के लिये जो कुछ भी चाहते है और जिनकी उन्हें आवश्यकता है उससें अधिक प्राप्त कर सकें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों मे आजीविका की तलाश करने वालों मे सबसे गरीब लोगो की सहायता करना शामिल है ताकि ग्रामीण विकास के अधिक लाभों की मांग की जा सके व गरीबी को नियंत्रित किया जा सके।

ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण

ग्रामीण विकास के दृष्टिकोणों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है–

(अ) क्षेत्र विकास दृष्टिकोणः– यह अल्प विकसित क्षेत्रों पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रम सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), नियोग क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी), जनजातिय विकास कार्यक्रम (टीडीपी), पहाडी विकास कार्यक्रम (एचएडीपी), आदि।

(ब) न्यूनतम पैकेज दृष्टिकोणः– यह दृष्टिकोण एक सीमित उद्देश्य वाला दृष्टिकोण है जो एक समय मे एक विशेष भाग लेता है। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य उच्च कृषि उत्पादन और विपणन योग्य अधिशेष प्राप्त करना था।

(स) लक्ष्य समूह दृष्टिकोणः– लक्ष्य समूह दृष्टिकोण मे एक विशेष समूह को अध्ययन के लिये लिया जाता है। और उसके पश्चात योजना का प्राथमिकताओं के अनुसार संशोधित किया जाता है। इस दृष्टिकोण के तहत एक ग्राहक–उन्मुख योजना तैयार की जाती है। और अंतिम लक्ष्य योजना और विकास की सभी जिम्मेदारियों को ग्राहक स्वंय स्थानांतरित करते है।

(द) एकीकृत ग्रामीण विकास दृष्टिकोणः–इस दृष्टिकोण को कारवाई के समग्र रूप मे देखा जाता है जिसमे ग्रामीण समुदायों के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित पारंपरिक रूप से सहायक परियोजनाओं और गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल होती है। यह दृष्टिकोण सभी ग्रामीण गरीबों के लिये खुला है।

ग्रामीण विकास के लिये आधारित दृष्टिकोण

ग्रामीण विकास के लिये आधारित दृष्टिकोण को निम्नलिखित रूप मे देखा जा सकता है–

(अ) मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)

(ब) सूचना का अधिकार

(स) वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006

(द) शिक्षा का अधिकार

(य) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013

ग्रामीण विकास के उद्देश्य

ग्रामीण विकास के उद्देश्य को भारत सरकार ने इसे आठ उद्देश्यों को स्पष्ट किया है।

1. गांव मे उत्तरदायी तथा कुशल नेतृत्व का विकास।
2. ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण मे परिवर्तन।
3. आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशीलता।
4. ग्रामीण शिक्षकों के हितों को सुरक्षित रखना।
5. ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना।
6. कृषि का आधुनिकरण एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास।
7. ग्रामीण स्त्रियों एवं परिवारों की दशा मे सुधार।
8. राष्ट्र के भावी नागरिकों के रूप मे युवाओं के समुचित व्यक्तित्व का विकास।

इन सभी उद्देश्यों को ध्यान मे रखते हुये यदि व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए। तो कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय की सोई हुई क्रांतिकारी शक्ति को जाग्रत करना है। ऐसी मान्यताएं है कि ग्रामीण विकास योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। उद्देश्य प्राप्ति हेतु जनसभागिता केवल प्रेरणा का परिणाम हो। ऐसी योजनाएं पूर्णतया नौकरशाही व्यवस्था द्वारा संचालित न हो इसकी बागडोर ग्रामीण समुदायों को ही दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास का संगठन

आरम्भ मे यह भारत सरकार के योजना मंत्रालय से संबंध था परन्तु कालान्तर मे इसका समावेश कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय मे हो गया वस्तुस्थिति यह है कि सामुदायिक विकास योजना का संगठन व संचालन केन्द्र स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विकसित है। मुख्यत इसे पांच भागों मे बांटा जा सकता है–

1. केन्द्र स्तर पर
2. राज्य स्तर पर
3. जिला स्तर पर
4. खण्ड स्तर पर
5. ग्राम स्तर पर।

ग्रामीण विकास के कार्यक्रम

सामुदायिक विकास के कार्यक्रम अत्यंत व्यापक है। जिनमे समाज के सभी अंग सम्मिलित होते है। कृषि से सामुदायिक विकास का ही हिस्सा है। इन सभी कार्यक्रमों मे कृषि सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है।

1. **कृषि :–** इसके लिये कृषि विकास, ऊसर भूमि का कृषि के उपयोग मे लाना, उन्नत बीज, पशुपालन विकास एवं सहान खेती कार्यक्रम पर जोर दिया जाता है।
2. **सिंचाई :–** कृषि के उत्पादन के लिये लधु सिंचाई साधन जैसे तालाब, नहर, नलकूप इत्यादि कार्यो पर जोर दिया जाता है।
3. **शिक्षा :–** प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम सामाजिक शिक्षा, प्रोढ़ शिक्षा इसके महत्वपूर्ण अंग होने चाहिए। बेसिक शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहन देना एवं ग्रामीणों मे जागरूकता लाने की व्यवस्था आवश्यक है।
4. **संचार :–** ग्रामीण क्षेत्रों मे आवागमन के साधनों को विकसित करना एवं ऐसी सडकों का निर्माण करना कि कोई भी ग्राम मुख्य सडक से दूरी पर न रहे।
5. **रोजगार :–** ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगारी एवं कम रोजगारी की समस्याओं को ऐसे उद्योग – धन्धों के विकास द्वारा दूर करना जिनसे स्थानीय जनता को साल मे अधिक से अधिक समय काम मे लगाया जा सके।
6. **आवासः –** इसके अंतर्गत उन्नत आवास की व्यवस्था, नई आवासीय बस्तियों का विकास आदि कार्यक्रमों मे सम्मिलित है।
7. **समाज कल्याण :–** सामुदायिक विकास के अंतर्गत समाज कल्याण कार्यक्रम की वे सेवाएं शामिल की गई है जो मनोरंजन सामुदायिक मेलों आदि से संबंधित है।

8. **प्रशिक्षण :–** इन आंदोलन को देहात मे ले जाना एवं उसकों ग्रामीण जनता द्वारा अपनाना एक कठिन एवं विशिष्ट कार्य है। इससे संबंधित ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान करना जरूरी है।
9. **स्वास्थ्य :–** ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य का स्तर बहुत ही निम्न है। इनमे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी देखने को मिलता है। अतः ग्रामीण जनता की व्यापक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करना भी इसके उद्देश्यों मे प्रमुख थां खण्ड स्तर पर चिकित्सा केन्द्र की स्थापन, पेयजल की सुचारू व्यवस्था, संक्रामक रोगों जैसे चेचक, मलेरिया, हैजा के इलाज व रोकथाम की व्यवस्था करना।

निष्कर्ष :– ग्रामीण विकास आमतौर पर व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता व वित्तिय कल्याण को बढाने की विधि को संदर्भित करता है, विशेष रूप से आबादी वाले और दुरदराज के क्षेत्रों मे रहने वाले। परंपरागत रूप से ग्रामीण विकास वानिकी और कृषि जैसे भूमि गहन प्राकृतिक संसाधनों के दुरूपयोग पर केन्द्रित था। हाँलाकि आज के बढते शहरीकरण के बदलाव ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्वरूप को बदल दिया है। ग्रामीण विकास अभी भी समग्र विकास का मूल बना हुआ है। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और जनसंख्या का एक तिहाई हिसा गरीबी रेखा से नीचे है। इसलिये सरकार को उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिये पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है। जिसमे 0 से 6 वर्ष तक के बालक/बालिकाओ की विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना बेहद जरूरी है। और महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के द्वारा ही ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को अच्छा बनाया जा सकता है। ग्रामीण विकास एक ऐसा शब्द है जो अर्थव्यवस्था मे सुधार के लिये ग्रामीण क्षेत्रों मे किए गये कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता हैं।

***शोधार्थी**
****एसोसियट प्रोफेसर**
कैरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (कोटा)

संदर्भ :–

पुस्तकें :– भारत मे ग्रामीण विकास, ग्रामीण व शहरी विकास, ग्रामीण विकास के सिद्धान्त, ग्रामीण विकास प्रशासन,

भारत मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भारत मे सामुदायिक विकास और पंचायती राज।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) मित्तल और कुमार 1995,

भारत सरकार 1972,

माहेश्वरी 1985,

समाचार पत्र–पत्रिकाएं :–राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, दैनिक जागरण।